न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 574–तीन/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 28 फरवरी, 2015 – पारित व्दारा – नायव तहसीलदार, नरबर, जिला शिवपुरी – प्रकरण कमांक 14/2014–15 अ–70

निर्मल सिंह पुत्र सरदार दर्शन सिंह निवासी
ग्राम चिताहारी तहसील नरबर,जिला शिवपुरी ---आवेदक

विरूद्ध

मुन्ना नट पुत्र सोलंकी नट निवासी ग्राम
चिताहारी तहसील नरबर, जिला शिवपुरी ----अनावेदक

(श्री पी0के0तिवारी अभिभाषक – आवेदक)
(श्री कुँअर सिंह कुशवाह अभिभाषक – अनावेदक)

आ दे श

(दिनांक 28 जनवरी 2016)

यह निगरानी नायव तहसीलदार, नरबर, जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 14/2014–15 अ–70 में पारित आदेश दिनांक 28 फरवरी, 2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने नायव तहसीलदार नरबर, जिला शिवपुरी के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत कर मॉग की कि उसके खाते की ग्राम चिताहारी स्थित भूमि सर्वे कमांक 488 एंव 432 रकबा 1.99 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर निर्मल सिंह पुत्र दर्शन सिंह ने कब्जा कर लिया है इसलिये उनके विरूद्व बेदखली की कार्यवाही की जावे। नायव तहसीलदार नरबर ने प्रकरण कमांक 14/20014-15 अ-70 पंजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत अंतरिम आदेश दिनांक 28 फरवरी, 2015 पारित किया तथा आवेदक को प्रकरण के अंतिम निराकरण तक भूमि पर कब्जा न करने एंव आगे व्यवधान उत्पन्न न करने हेतु पांच लाख रू. का जमानतनामा प्रस्तुत करने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनावेदक ने तहसील न्यायालय में यह नहीं बताया है कि वादग्रस्त भूमि पर आवेदक ने किस माह किस सन् में कब्जा किया है। अनावेदक झांसी उत्तरप्रदेश के ग्राम डेली में निवास कर रहा है एंव 25-30 साल से कभी भी ग्राम चिताहारी नहीं आया है। दिनांक 20-2-90 को अनावेदक ने एक बंधपत्र आवेदक के हित में निष्पादित करके घरू खर्च वास्ते रूपये 46200/- प्राप्त कर कब्जा सोंप दिया था तभी से आवेदक वादग्रस्त भूमि पर खेती करता आया है। आवेदक का संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कब्जा वापिस हेतु प्रस्तुत आवेदन अवधि वाधित है जिस पर नायव तहसीलदार ने सुनवाई कर आदेश पारित करने में त्रृटि की है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अनावेदक के अभिभाषक ने बताया कि अनावेदक ने आवेदक को भूमि नहीं जुताई है अपितु अनावेदक साल-दरसाल भूमि हकाई जुताई कराकर बोता आ रहा है एंव रखवाली हेतु नौकर है । पैसे का लेनदेन तो सभी का आपस में चलता है और इसी लेन देन के के कारण आवेदक ने अनावेदक की भूमि पर जब कब्जा किया है तब अनावेदक ने संहिता की धारा 250 का आवेदन समयावधि में दिया है। उन्होंने नायव तहसीलदार के आदेश को सही बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक ने नायव तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 का आवेदन दिनांक 10-9-14 को प्रस्तुत किया है। आवेदक एंव अनावेदक के बीच दिनांक 20-2-1990 को वादग्रस्त भूमि के विकय का अनुबंध संपादित हुआ है जिसमें निम्नानुसार अनुबन्ध करना उल्लेखित है। :-

" मुझ अनुबंधकर्ता के स्वत्व एंव स्वामित्व वाली आराजी ग्राम चिंताहरी तहसील नरबर में स्थित है उसका रकबा 1.89 हैक्टर होकर सर्वे नं. 408 होकर लगानी 10.50 रुपया की सालाना की स्थित है उक्त भूमि शासकीय पटदे की है उसके विकय की संबिदा आप अनुबंधग्रहीता से दिनांक 28-1-80 को की उसी दिनांक को दो हजार रुपया प्राप्त किया पुनः दिनांक 21.7.83 को चार हजार दो सो रुपया प्राप्त किया एंव अनुबंध लिखवा एंव शेष राशि 40,000-00 चालीस हजार रुपया आप गवाहनों के समक्ष प्राप्त कर लिया अब कोई प्रतिफल की राशि लेना शेष नहीं है। जुमला 46200-00 छियालीस हजार दो सौ रुपया प्राप्त कर लिया। विकय की अनुमति प्राप्त कर आपके पक्ष में बैनामा कर देवेंगे। अनुमति के पूर्व आज दिनांक को आप अनुबंधग्रहीता के पक्ष में मुख्तारनामा का निष्पादन कर दिया एंव पंजीयत कराया इस प्रकार आप अनुबंधग्रहीता को भूमिस्वामी के समान समस्त अधिकार आपके पक्ष में दिये। उक्त अनुबंधित भूमि पर पूर्ण स्वतंत्र होकर कृषि करें जिसमें मुझ अनुबंधकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है। "

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि अनावेदक ने आवेदक को विकय के शर्त पर अनुबंधित कर मौके पर कब्जा सौंपते हुये विकय

प्रतिफल प्राप्त कर लिया है एंव कब्जा इसी दिन सौंप दिया है। विचार योग्य है कि जब दिनांक 20-2-1990 को अनुबंध संपादित होकर उप पंजीयक के यहां पंजीबद्व हुआ है आवेदक व्दारा अनावेदक के नाम अंकित चली आई भूमि पर खेती की जा रही है क्या संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कब्जा वापिस का वाद विचारित किया जा सकता है? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 में दिये गये प्रावधानानुसार सामान्य वर्ग का कृषक भूमि पर बेजा कब्जा करने के दिन से 2 वर्ष के भीतर तथा अनुसूचित जाति/जनजाति का कृषक 5 वर्ष के भीतर कब्जा वापिसी का वाद दायर कर सकता है परन्तु विचाराधीन वाद 20-2-1990 के कब्जे के विरूद्व होने तथा कब्जा भूमिस्वामी की सहमति पर होने से दिनांक 10-9-14 को कब्जा वापिसी का दावा दायर करने से दावा प्रचलन योग्य नहीं है परन्तु नायव तहसीलदार नरबर ने प्रकरण में आये तथ्यों के विपरीत जाकर प्रकरण कमांक 14/20014-15 अ-70 में आदेश दिनांक 28-2-2015 पारित करने में भूल की है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अनुबन्ध के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विचाराधीन भूमि शासकीय पटटे की है जिसे बिना कलेक्टर की अनुमति के विक्रय नहीं किया जा सकता। अतः भूमि का विक्रयनामा संपादित नहीं किया गया परन्तु भूमि अभी भी शासकीय पटटे की है । अनुबंध के आधार पर पटटे की भूमि का अंतरण नहीं किया जा सकता। यद्यपि इस प्रकरण में धारा 250 की कार्यवाही करना नियमानुसार सही नहीं है परन्तु शासकीय पटटे की भूमि होने पर भी अनुबंध व्दारा अंतरण करने , पटटे की भूमि पर कब्जा करने के सम्बन्ध में जांच कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय स्वतंत्र है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायव तहसीलदार नरबर व्दारा प्रकरण कमांक 14/20014-15 अ-70 में पारित आदेश दिनांक 28-2-2015 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है तथा शासकीय पटटे की भूमि को बिना अनुमति के अनुबंध व्दारा कब्जा अंतरण करने के लिये उसके संबंध में नियमानुसार कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय व्दारा किये जाने के निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर